नगर पालिका, खाजूवाला

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KHAJUWALA/FIRENOC/2025-26/55541

जारी दिनांकः 19-JAN-2026 वैधता दिनांकः 18-JAN-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः SHARAWAN KUMAR

आवेदक का पताः 199-2, MANDELA CHHOTA, MANDELA BARA SIKAR, RAJASTHAN - 332301

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **KENDRIYA VIDHYALAYA, 1, RAWLA ROAD, RAWLA ROAD, KHAJUWALA, BIKANER, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
3. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
4. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
5. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
6. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
7. आप द्वारा दिये गये घोषणा पत्र व शपथ पत्र की पूर्ण पालना करनी होगी।
8. यदि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में कोई नियम उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
9. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में काम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा भवन का कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
11. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे तथा पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
12. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगें तथा ए एम सी करवायी जाकर स्टिसम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
13. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटाप रेस्टोंरेंट के लिए मान्य नही है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं वहा पर रूफटाप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

Signed by: Sohan Lal
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KHAJUWALA, Rajasthan
Date: 19/01/2026 17:07:15

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, खाजूवाला